



क्रमांक: पं. पैरामेडि.कौ/मान्यता/2023/ 555

दिनांक : 22/08/23

**Registrar/Principal**

Sunrise Paramedical College,  
Sunrise University, Bagad Rajput,  
Ramgarh Alwar Raj. - 301028

**विषय :-** डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने की मान्यता बाबत।

**संदर्भ :-** आपका आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे दायर रिट याचिका संख्या 6015/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 की अनुपालना में संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर Sunrise Paramedical College, Sunrise University, Bagad Rajput, Ramgarh Alwar Raj. को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन ई.सी.जी. टेक्नोलोजी पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से निम्न कोर्स संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

Serial No.	Course Name	Seats
1	Diploma in Medical Laboratory Technology.	60
2	Diploma in ECG Technology	60

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 (ठ) एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :-

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को प्रति पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 1,80,000/- राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम की कुल राशि 3,60,000/- रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाएं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा संस्था द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructure) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा अपने संस्थान के संबंध में भवन (Infrastructure) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा प्रति पाठ्यक्रम 50,000/- रुपये मान्यता शुल्क के रूप में कुल 50,000x2 = 1,00,000/- रुपये नियमानुसार कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

(कैलाश नारायण मीना)

R.A.S.

रजिस्ट्रार

निरन्तर.....



# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804

Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांक: पं. पैरामेडि.कौ/मान्यता/2023/ 555 दिनांक : 22/08/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सनराईज यूनिवर्सिटी रामगढ अलवर।
7. काउन्सिलिंग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार

क्रमांक	व्यक्ति का नाम	पद
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...

(संकेत सहित प्रेषित)

...